

TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 14th March, 2000

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. In exercise of the powers conferred by the sub-clause (v) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Sri Sri Jagatguru Shankaracharya Mahasanathanam Dakshinamnaya Sri Sharda Peetham, Sringeri" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1999-2000 to 2001-2002 subject to the following conditions, namely:-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above other wise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.
- (iv) The assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.


(MONA M. VERMA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

NOTIFICATION NO. 11254

(F.NO. 197/14/2000-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 III में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
=000=

नई दिल्ली, 14.3., 2000

अधिसूचना
आयकर

का.आ.सं. आयकर अधिनियम, 1961 का 43 की धारा 10 के खंड 23 ग के उपखंड V द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार स्तद्वारा श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महातनातनम दीक्षामनय श्री शारदा पीठ श्रीरि को 1999-2000 से 2001-2002 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- II कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संकयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है,
- III कर निर्धारिती उमर-उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा II की उपधारा 5 में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि जेम्मादिरात फर्चिर अथवा किसी अन्य वस्तु के रूप में प्राप्त तथा असुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ।
- III यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिसाध हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त करनिर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।
- IV कर निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्राधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा।

अधिसूचना सं. 11264

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

राजौरी गार्डन के समीप, नई दिल्ली ।

मोना एम. कार्म

अवर सचिव, भारत सरकार

फा.सं. 197/14/2000-आ.क.नि.-I